318
02/8/25

Complete

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दक्षिण-पश्चिम) द्वारका कोर्ट: नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

द्वारका जिला न्यायालय परिसर, दिल्ली से बेकार कागज, अख़बार, मैगज़ीन, रद्दी इत्यादि की ख़रीद के लिए इच्छुक पार्टियों/ठेकेदारों से अपनी दरें प्रस्तावित करने के लिए सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

उपर्युक्त उल्लिखित बेकार कागज, अख़बार, मैगज़ीन, रद्दी इत्यादि की ख़रीद के लिए प्रति किलोग्राम के मूल्य का हवाला देते हुए निविदाएँ सीलबंद लिफाफे में दिनांक **14.08.2025** को दोपहर **03:00** बजे तक देखरेख शाखा कमरा संख्या 104 -ए, प्रथम तल, द्वारका न्यायालय, दिल्ली में रखे सील बॉक्स में डाली जानी चाहिए।

आवेदकों को अपनी निविदा के साथ "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दक्षिण-पश्चिम), दिल्ली" के नाम पर देय रूपए 5000/-(रूपए पांच हजार केवल) का डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर (लौटाये जाने योग्य) संलग्न करना होगा तथा इसके अभाव में किसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। असफल आवेदकों को डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर तुरंत लौटा किया जाएगा तथा सफल आवेदकों को प्रतिभूति राशि जमा करवाने के बाद यह लौटा दिया जाएगा।

इस संबंध में नियम व शर्तें तथा अन्य जानकारियाँ देखरेख अनुभाग, कमरा संख्या 104 -ए, प्रथम तल, द्वारका न्यायालय, दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है तथा इन्हे कार्यालय वेबसाइट www.delhidistrictcourts.nic.in पर देखा/जाँचा जा सकता है।

सीलबंद निविदाएँ दिनाँक **19.08.2025** को सायं **04:00** बजे **सम्मेलन कक्ष, सातवीं मंजिल, द्वारका न्यायालय, दिल्ली** में खोली जाएंगी।

Addl. & Sessions Judge (East)
Diary No. 2649
02 AUG 2025
KKD Courts, Delhi

(राज कुमार)
अध्यक्ष, निराकरण बोर्ड
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दक्षिण-पश्चिम जिला, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।

संख्या 27716-27741 **देख- रेख शाखा/द्वारका न्यायलय/नई दिल्ली/2025** **दिनांक** 01.08.25

प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित :-

1. निजी सचिव कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण-पश्चिम, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।
2. सभी शाखा प्रभारी, कंप्यूटर शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, आरएसीसी, दिल्ली से अनुरोध है कि नीलामी सूचना एवं नियम व शर्तें अपनी सम्बंधित वेबसाइट पर अपलोड करें। East
3. सभी शाखा प्रभारी, देख-रेख शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, आरएसीसी, दिल्ली से अनुरोध है कि नीलामी सूचना को सम्बंधित सूचना- पट्ट पर चिपकायें।
4. प्रभारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय द्वारका से अनुरोध है कि मायापुरी स्क्रैप मार्केट के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने के लिए सम्बंधित प्रोसेस सर्वर को निर्देशित करें।

द्वारका न्यायालय परिसर दिल्ली द्वारा रद्दी/पुराने अखबार, पत्रिका, रद्दी इत्यादि की बिक्री के संबंध में नियम एवं शर्तें

1. यह कि ठेकेदार (कॉन्ट्रैक्टर) कार्यालय से मौखिक या लिखित रूप से सूचना मिलने/कॉल आने के तुरंत बाद द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली से सभी बेकार पुराने समाचार पत्र, मैगज़ीन, रद्दी इत्यादि को हटा लेगा।

2. यह कि ठेकेदार इन्हें हटाने के लिए आवश्यक बैग, बक्से, वाहन और श्रमिक आदि की व्यवस्था स्वयं करेगा।

3. यह कि ठेकेदार को देखरेख शाखा, द्वारका न्यायालय परिसर के अधिकारी की उपस्थिति में सरकार द्वारा अधिकृत धर्मकांटा/वजन मशीन से अपशिष्ट सामग्री समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि का वजन करवाना होगा और दर के अनुसार देखरेख शाखा, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली में पूरी राशि जमा करनी होगी। तुलाई का व्यय ठेकेदार द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा। देखरेख शाखा रद्दी/पुराने अखबार, पत्रिका, रद्दी आदि की बिक्री के बदले ठेकेदार से प्राप्त धनराशि को रोकड़ अनुभाग (कैश ब्रांच) (दक्षिण-पश्चिम), द्वारका न्यायालय में जमा करेगी।

4. यह कि ठेकेदार यह अंडरटेकिंग/वचनपत्र देगा कि वह रद्दी कागज का उपयोग केवल रिसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) के लिए करेगा।

5. यह कि राशि का भुगतान न करने पर ठेकेदार को प्रतिदिन हिसाब से रु. 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) का जुर्माना देना होगा।

6. यह कि ठेकेदार द्वारा द्वारका न्यायालय परिसर से रद्दी/पुराने अखबार, मैगजीन आदि को उठाने/हटाने के अभाव में देखरेख शाखा, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली द्वारा उस दिन के लिए ठेकेदार से श्रमिक शुल्क/लेबर चार्ज जो रूपए 1000/- है लिया जाएगा तथा सम्बंधित कार्यालय को ठेकेदार के जोखिम/लागत पर अपशिष्ट/पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी, आदि को हटाने का अधिकार होगा।

7. यह कि द्वारका न्यायालय परिसर से बेकार अखबार, मैगजीन, रद्दी आदि को हटाने के लिए आवश्यक सभी बैग, बक्से, ट्रॉली, वाहन, श्रमिक आदि ठेकेदार द्वारा अपनी लागत और व्यय पर लगाए जाएंगे और उसे द्वारका न्यायालय के परिसर, दिल्ली में रद्दी/कचरे के शर्टिंग/छंटाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. यह कि ठेकेदार द्वारा द्वारका न्यायालय परिसर से रद्दी/पुराने अखबार, पत्रिका, रद्दी आदि "जहां है जैसा है" के आधार पर लिया जाएगा।

9. यह कि अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) एक दर अनुबंध (रेट कॉन्ट्रेक्ट) है और अनुबंध की अवधि के दौरान उपलब्ध बेकार कागजों की मात्रा के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है।

10. यह कि ठेकेदार द्वारा वर्तमान अनुबंध के तहत सभी दायित्वों के उचित और विश्वसनीय निष्पादन की लिए रूपए 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) की सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, देखरेख शाखा (दक्षिण-पश्चिम), द्वारका न्यायालय, दिल्ली में जमा की जाएगी।

11. यह कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी) ब्याज मुक्त होगी।

12. ठेकेदार द्वारा अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) के किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में कार्यालय को, अन्य अधिकारों और शक्तियों के अलावा, 15 दिनों की लिखित सूचना देकर अनुबंध को तुरंत रद्द / समाप्त करने का अधिकार होगा और सुरक्षा राशि के रूप में जमा किए गए रूपए 10000/- (दस हज़ार रूपए मात्र) को जब्त किया जाएगा और इसके अलावा इस तरह के उल्लंघन से हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। अनुबंध पूरा हो जाने के बाद जमा की गई सुरक्षा राशि नियमानुसार और उसपर देय व बकाया राशि, यदि कोई है तो, आदि का निपटारा करने के बाद ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

13. यह कि उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद, कार्यालय के लिए यह वैध होगा कि कार्यालय ठेकेदार को एक कैलेंडर माह की लिखित सूचना (बिना कोई कारण बताए) देकर किसी भी समय इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, जबकि ठेकेदार कार्यालय को लिखित रूप में दो कैलेंडर महीने का नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा, परन्तु अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) जारी होने से चार महीने की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं।

14. यह कि ठेकेदार या उसके एजेंटों व नौकरों के किसी भी कार्य/चूक के कारण कार्यालय की किसी भी संपत्ति को होने वाले सभी नुकसानों के लिए ठेकेदार कार्यालय द्वारा लगाए गए भुगतान/जुर्माने की भरपाई करेगा।

15. यह कि ठेकेदार अनुबंध की अवधि के दौरान इस कार्यालय द्वारा उसे आधिकारिक तौर पर सूचित किए गए सुरक्षा निर्देशों/आवश्यकताओं (लिखित और मौखिक दोनों) का सख्ती से पालन करेगा। ठेकेदार को रद्दी/अपशिष्ट कागज/सामग्री लेने और हटाने के लिए नियुक्त एजेंटों/मजदूरों का पहचान प्रमाण/फोटो जमा करना होगा। ठेकेदार और उसके एजेंटों या मजदूरों के पूर्ववृत्त (एंटिसीडेंट्स) के सत्यापन की लागत ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जाएगी और संबंधित पुलिस द्वारा उसका सत्यापन कराया जाएगा।

16. यह कि ठेकेदार, इस कार्यालय की पूर्व सहमति के बिना, इस अनुबंध के कार्य के किसी भी भाग या उसके किसी भी हिस्से या उसके तहत भुगतान के किसी भी अधिकार किसी को नहीं सौंपेगा, न ही अधीन करेगा, न ही भाड़े पर देगा, या उसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने साथ सम्बद्ध करेगा या न्यास के तौर पे सौपेंगा।

17. यह कि इस समझौते या इसकी विषय वस्तु या पार्टियों के प्रतिनिधि अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्व से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों, मतभेदों और प्रश्नों को श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दक्षिण-पश्चिम), दिल्ली या उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति के एकमात्र विवाचन (आरबिटरेशन) "आरबिटरेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996" के अनुसार होगी। विवाचक (आरबिटरेटर) पक्षकारों की सहमति से आरबिटरेशन के समय को बढ़ाने का हकदार होगा। लंबित विवाचन कार्यवाही (पेंडिंग आरबिटरेशन प्रोसिडिंग) के आधार पर समझौते का कोई भी हिस्सा निलंबित नहीं किया जाएगा।

18. पक्षों के बीच सभी विवाद केवल दिल्ली न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

19. यह अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) समझौते (एग्रीमेंट) के निष्पादन(एग्ज़िक्यूशन) के दिन से शुरू होकर दो साल के लिए दिया जाता है और इसे ठेकेदार के प्रदर्शन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष के अनुमोदन की अधीन दो साल की अवधि के बाद बढ़ाया जा सकता है।